क्रम-संख्या–156 (ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020

भाद्रपद 27, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग–11

संख्या 759 / एक-11-2020

लखनऊ, 18 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

प०आ०–235

चूँकि सेवायें या प्रसुविधायें या सहायिकी प्रदान करने के पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियाएँ सुगम हो जाती हैं, पारदर्शिता और दक्षता आ जाती है और लाभार्थी अपना पहचान साबित करने के लिए बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुये सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे अपना हक प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं;

और, चूँकि, राजस्व विभाग (जिसे आगे उक्त विभाग कहा गया है) राज्य आपदा मोचक निधि (एस0डी0आर0एफ0) (जिसे आगे उक्त योजना कहा गया है) को प्रशासित कर रहा है, जो आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) (क) के अधीन गठित की गयी है, जो राज्य सरकार के पास अधिसूचित आपदाओं के मोचन के लिए उपलब्ध प्राथमिक निधि है। केन्द्र सरकार, सामान्य श्रेणी के राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एस0डी0आर0एफ0 आवंटन में 75% का अंशदान करती है और उक्त निधि का उपयोग केवल आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के व्यय की पूर्ति के लिए किया जाता है। यह योजना राहत आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार (जिसे आगे क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है;

और, चूँकि, उक्त योजना के अधीन क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण द्वारा विद्यमान योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार आपदा प्रभावित पीड़ितों (जिन्हें आगे लाभार्थी कहा गया है) को आनुग्रहिक राहत सहायता (जिसे आगे प्रसुविधा कहा गया है) प्रदान की जाती है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त योजना में उत्तर प्रदेश संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्विष्ट है;

अतएव, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :–

1–(1) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधा का उपभोग करने के इच्छुक बालक/बालिका से एतद्द्वारा आधार संख्या धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणित कराने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधा का उपभोग करने के इच्छुक किसी बालक/बालिका, जो आधार संख्या धारित न करता/करती हो या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन न किया हो, से उक्त योजना में रजिस्ट्रीकृत किए जाने से पूर्व उसके माता–पिता या संरक्षक की सहमति के अध्यधीन आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जायेगी, परन्तु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का/की हकदार हो, और ऐसे बालक/बालिकाओं को आधार नामांकन कराने हेतु किसी आधार नामांकन केन्द्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची] पर जाना होगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग से अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से आधार हेतु अभी तक नामांकित न किए गए लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधायें प्रदान किए जाने की अपेक्षा की जायेगी और यदि सम्बन्धित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित न हो तो विभाग को अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार होकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधायें प्रदान करना होगा :

परन्तु यह कि बालक/बालिका को आधार सौंपे जाने के समय तक ऐसे बालक/बालिका को उक्त योजना के अधीन प्रसुविधा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन प्रदान की जायेगी, अर्थात् :–

(क) यदि बालक/बालिका पाँच वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् नामांकित किया गया/की गयी हो (बायोमेट्रिक संग्रह के साथ) तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायोमेट्रिक अद्यतन पहचान पर्ची, और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात् :–

(एक) जन्म प्रमाणपत्र, या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म अभिलेख; या

(दो) विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित विद्यालय पहचान–पत्र, जिसमें माता–पिता का नाम अन्तर्विष्ट हो, तथा

(ग) विद्यमान योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार माता–पिता या वैध संरक्षक के साथ लाभार्थी के सम्बन्ध के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात् :–

(एक) जन्म प्रमाणपत्र, या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म अभिलेख; या

(दो) राशन कार्ड; या

(तीन) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना कार्ड या कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्ड या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड; या

(चार) पेंशन कार्ड; या

(पाँच) आर्मी कैंटीन कार्ड; या